पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन संबंधी
अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (अक्तूबर-2023 से मार्च-2024)

1	परियोजना का नाम	चमेरा पावर स्टेशन, चरण-II (300MW)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	सं. जे-11016/44/84-ईएन-5, दिनांक 6.3.1985 सं.8-53/86- एफसी, दिनांक 17.06.1987
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	चम्बा हिमाचल प्रदेश 32^0 31' 34'' उ0 76^0 08' 30'' पू0
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	महाप्रबंधक(प्रभारी), चमेरा पावर स्टेशन, चरण-II, पोस्ट बैग नं. 2, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश-176310 टेलीफोन नं: 01899-220210 फैक्स नं.: 01899-220030,220131 कार्यपालक निदेशक (पर्यावरण व विविधता प्रबंधन विभाग), एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन: 0129-2254038
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	पर्यावरण प्रबंधन में निम्नलिखित योजनाओं शामिल हैं: (i) क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम (ii) जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना (iii) पुनरुद्धार और मलबा निपटान योजना (iv) हरित पट्टी योजना (v) स्वास्थ्य पहलू (vi) परियोजना के श्रमिकों के लिए निशुल्क ईंधन की व्यवस्था
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का	

	विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य	क) जलमग्न क्षेत्र : i) वन भूमि : 24.75 हैक्टेयर ii) निजी भूमि : 0.38 हैक्टेयर iii) सरकारी भूमि : 3.63 हैक्टेयर ख) अन्य : i) वन भूमि : 12.32 हैक्टेयर ii) निजी भूमि : 24.51 हैक्टेयर iii) सरकारी भूमि : 15.78 हैक्टेयर # Net Private land (Sl.No. b(ii) after transfer 0.3278 ha to PGCILfor construction of Pooling Station vzde sale deed dated 3.11.2020.
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना प्रभावित परिवारों का विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 93 • जिन परिवारों ने केवल घर खोए हैं उनकी संख्या : 25 • जिन परिवारों ने आंशिक रूप से केवल कृषि भूमि खोई है, उनकी संख्या : 63 • जिन परिवारों ने घर और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं, उनकी संख्या : 05 (क) अनु.जा. = 21 अनु.ज.ज = 03 (ख)अन्य = 69
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए नियतन ग) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	(क)रु 1684.02 करोड़ (अगस्त,1998 मूल्यस्तर) (ख) रु 13 करोड़ (अगस्त, 1998 मूल्यस्तर) (ग) रु 2062.88 करोड़ (पूंजीगत) (घ) रु 1284.89 लाख
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की	(क)इस परियोजना को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8-53/86-एफसी, दिनांक 17.6.1987

	स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई की स्थिति	द्वारा 78.78 हैक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन संबंधी स्वीकृति दी गई थी। परंतु, परियोजना के निर्माण-कार्य के लिए केवल **37.07** हैक्टेयर भूमि ली गई। (ख) वन भूमि पर पेड़ो की कोई कटाई नहीं की गई है।
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और/अथवा योजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा योजना की गई)	(क)18.05.1999 (वास्तविक) (ख) 09.02.2004 (वास्तविक)
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गई है	लागू नहीं । परियोजना पूर्ण(commissioned) हो चुकी है ।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	पर्यावरण मानीटरिंग समिति की निम्नलिखित बैठक हुई है । 1.प्रथम बैठक : 27th & 28th जून 2000. 2.द्वितीय बैठक : 12th & 13th जून 2001 3.तीसरी बैठक : 25th & 26th जून 2002 4.चौथी बैठक : 18th & 19th अगस्त 2003 5.पंचमी बैठक : 16 & 17 दिसंबर,2020 एकीकृत आरओ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शिमला के प्रतिनिधि ने 28.02.2023 से 01.03.2023 तक ईसी के निरीक्षण के लिए चमेरा-द्वितीय पीएस का दौरा किया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	**अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न।

अनुलग्नक-1

क्र॰स	पर्यावरण स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i	निकटवर्ती वन क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई	चमेरा-II परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में

	को रोकने के लिए, निर्माण कार्य के दौरान संलग्न श्रमिकों को परियोजना लागत पर एक आवश्यक ईंधन व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए ईंधन डिपो को परियोजना क्षेत्र में खोला जाना चाहिए और इस लागत को कवर करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए।	ही पूरा किया जा चुका है। अत: इस समय, श्रमिकों हेतु मुफ्त ईंधन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, परियोजना के कर्मचारियों के लिए, एलपीजी सिलिंडर की व्यवस्था करियन, चंबा स्थित एलपीजी डिपो से की जा रही है।
ii	निर्माण क्षेत्र की बहाली जितना संभव हो सुनिश्चित की जानी चाहिए: -गड्ढों को भरने व समतल करना -खुला ढलान पर पौधा लगाना और -भू निर्माण आदि।	चमेरा-II परियोजना 2004 में शुरू की गई थी। निर्माण क्षेत्र का जीर्णोद्धार गड्ढों को भरने, समतलीकरण और ढलान संरक्षण उपायों के साथ-साथ भूदृश्य और वृक्षारोपण के माध्यम से किया गया था। एनएचपीसी द्वारा जनवरी, 2023 में रुपये के व्यय के साथ डंपिंग साइटों की मरम्मत और रखरखाव का काम शुरू किया गया है। 28.19 लाख।
iii	परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जलाशय परिधि और जल संवाहक प्रणाली की ओर वनीकरण करके ग्रीन बेल्ट बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान परियोजना के अनुमानित खर्च में किया जाना चाहिए।	ग्रीन बेल्ट योजना राज्य वन विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की गई थी। कुल लागत 55.20 लाख रुपये।
iv	परियोजना क्षेत्रों के आस-पास वनावरण और वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवैध शिकार विरोधी कानून को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्टाफ भी प्रदान किया जाना चाहिए।	चमेरा-II परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में ही पूरा किया जा चुका है। वन व वन्य जीवन संरक्षण से संबन्धित कानून को लागू करना राज्य वन विभाग के अधीन है, उनके द्वारा उक्त कार्य किया जा रहा है।
v	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने और आसपास के वातावरण	पर्यावरण निगरानी समिति का गठन परिपत्र संख्या NH/CH-II/C&P/P-165/2000/208-13 दिनांक

	का कम से कम नुकसान हो इसके लिए राज्य वन विभाग, वन्यजीव विंग और सरकारी विभाग के प्रतिनिधि के साथ एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए।	16.2.2000 द्वारा किया गया ।